सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 दिसम्बर, 2017

षोडश विधान सभा 01 दिसम्बर, 2017 ई0

---------------- शुक्रवार, तिथि -----------------

अष्टम् सत्र 10 अग्रहायण,1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, बालू और गिट्टी बंदी के कारण .....

अध्यक्ष : बालू और गिट्टी पर तो बात हुई है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करें और उसे देखने और विचार करने का काम करें । महोदय, यह लाखों, करोड़ों लोगों के रोजगार और पेट की बात है और मजदूर जो हैं, वह लगातार बेहाल हैं । बिहार में बालू बंदी के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है और इस कार्य में लगे जितने गरीब मजदूर हैं, उनकी जातियां दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े की है और इनके पेट पर सरकार लात मार रही है । बालू और गिट्टी की बंदी के कारण पूरे बिहार के विकास कार्य पर असर पड़ा है । जितनी सरकारी योजनायें थीं, उसपर भी असर पड़ रहा है, बिहार में विकास का कार्य पूरी तरह ठप है । आम लोगों की जिन्दगी भी बड़ी मुश्किल में हो रही है । एक तो पहले से महंगाई है और इल्लीगल तरीके से भी बालू इतना महंगा मिल रहा है तो इसपर सरकार को देखना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप अवगत हैं......

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आलोक जी, आप इधर देखिए न, आप तो हमारे विधायक हैं, उधर कहां देखते हैं ?

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : आप बैठिए न । पहले आप बैठिए । आप बैठियेगा तब न बोलियेगा । आप बैठिए ।

नेता प्रतिपक्ष महोदय, बालू-गिट्टी के सवाल पर आज हमने देखा है कि माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी है । आप अवगत हैं कि हमने इस विषय के महत्व को देखते हुए ही इसपर सदन में विमर्श के लिये ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव को भी मंजूर किया था और उस पर सरकार का उत्तर

भी हुआ लेकिन अगर फिर भी कार्यस्थगन-प्रस्ताव पर कुछ बोलना चाहते हैं तो जो उसके लिए समय निर्धारित है, उस समय बोलियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, इसके लिए बहुत पहले अगर देखा जाय तो इस हाउस में भी कई बार कार्यस्थगन को मंजूर किया गया है । यह गंभीर मसला है और करोड़ों लोगों की जिन्दगी का सवाल है, आज मजदूर भूखे मर रहे हैं, मजदूर के बच्चे एवं परिवार भूखे मर रहे हैं और हम सरकार से जानना चाहेंगे कि अब तक जो आर्थिक नुकसान मजदूरों का हुआ है, उनके परिवार का हुआ है तो उसके लिए सरकार मुआवजा देगी क्या ? महोदय, इतने दिनों से यह मामला चला आ रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ।

(व्यवधान)

पहले भी कार्यस्थगन प्रस्ताव मंजूर हुए हैं और यह बहुत ही गंभीर मामला है महोदय । जितनी भी सरकार की योजनायें हैं, शौचालय निर्माण से लेकर अन्य बड़ी जो योजनायें हैं, वह नहीं हो पा रही है ।

अध्यक्ष : इस विषय पर तो सदन में विमर्श भी हो चुका है और फिर माननीय सदस्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ललित यादव जी का, श्री भाई वीरेन्द्र जी का है, सब महत्वपूर्ण विषय है, उसपर तो बातें होनी है । अभी इस पर बात हो ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष........

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, जब अवैध खनन की बात आती है तो अवैध खनन नहीं होना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से तानाशाही रवैया है....

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, बालू के सवाल पर सरकार का उत्तर हो चुका है ।

अध्यक्ष : वह तो हमने कहा है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : बालू के बारे में जो चिंतायें हैं माननीय सदस्य की, नेता प्रतिपक्ष का और सदन की जो चिन्ता है, उसको दूर करने के लिए सरकार का उत्तर हो चुका है महोदय । अब मैं समझता हूॅं कि इसपर कोई डिबेट की आवश्यकता नही है नियमानुकूल ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, राज्य का कार्यस्थगन-प्रस्ताव है तो उससे बड़ा प्रश्न क्या हो सकता है ? यह राज्य के लिए अभी ज्वलंत उदाहरण है । सारे मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और उनको खाने पर आफत है । महोदय, इससे बड़ा प्रश्न राज्य के लिए क्या हो सकता है ?

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण एवं मा0 सदस्य श्री महबूब आलम वेल में चले आये)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कार्यस्थगन लिया जाय, बालू-गिट्टी का महत्वपूर्ण सवाल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी जगह पर जाकर तो बोलिए । अपनी जगह से बोलिए न !

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो पहले दिन से ही एक-एक प्रश्नों का जवाब दे रही है । सरकार तो हर प्रश्नों का जवाब दे रही है । माननीय विपक्ष के नेता क्या चाहते हैं सदन में ? जो नियमानुकूल प्रश्न है, एक-एक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । बालू पर सवाल उठा रहे हैं, उसका भी जवाब दिया गया है । धान खरीद का सवाल उठाया गया है तो उसका भी जवाब दिया गया है । जो नियमानुकूल प्रश्न आ रहे हैं, सबका सरकार जवाब दे रही है । आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं, बिहार की जनता का सवाल का हल चाहते हैं या सिर्फ हंगामा चाहते हैं । हंगामा करना इनका सिर्फ मकसद है । अगर ये हंगामा करके बिहार की जनता का भला करना चाहते हैं तो हमलोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो उसका एक-एक करके सरकार जवाब देना चाहती है । सरकार बैठी है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे अनुरोध है कि अपनी सीट पर जाकर बोलिए ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही....

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए न । अब सभा की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/शंभु/01.12.17

(स्थगन के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को माननीय सदस्य श्री अत्रि मुनि ऊर्फ शक्ति सिंह यादव से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में वित्तीय वर्ष-2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर, विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन तथा गैर सरकारी संकल्प का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2), 176(3) एवं 19(1) के तहत निमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है।

(व्यवधान)

अब शून्यकाल होने दीजिए न ।

श्री अत्रि मुनि ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर में नियम-98 के तहत कार्य स्थगन पर चर्चाएं भी हुई है। सवाल इसलिए है कि आज राज्य के दिहाड़ी मजदूर गिट्टी और बालू की किल्लत के चलते निवाले पर हमले हो रहे हैं। उनके रोजगार छीने जा रहे हैं और पूरे बिहार में हाहाकार है। यह सवाल केवल विपक्ष का नहीं चाहे सत्तापक्ष में बैठे लोग हों या विपक्ष यह पूरे बिहार का सवाल है। इतना ही नहीं अब तो सवाल यहां तक खड़ा हो गया कि कोई किसान अगर अपने खेतों से मिट्टी उठाता है तो उसपर भी तुगलकी फरमान जारी किया गया सरकार के तरफ से। हाईकोर्ट का निर्णय आया है और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद लघु खनिज जो आप नियम 2017 प्रस्तुत किये हैं, उसमें हाईकोर्ट का भी अवमानना किया है। महोदय, चूंकि पेट पर जब हमला- वेलफेयर स्टेट है बिहार, सरकार होती है जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनकी सुविधा के लिए उनके रोजगार को छीनने के लिए नहीं उनके रोजगार के सृजन के लिए होती है। यह पेट पर हमला है, सरकारी निर्माण बाधित है, घर का निर्माण बाधित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शक्ति जी, अब शून्यकाल होने दीजिए।

श्री अत्रि मुनि ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, सुना जाय महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल होने दीजिए न। प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

(इस अवसर पर राजद के मा0सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 के बजट प्राक्कलन के सन्दर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैं बिहार विज्ञापन कर अधिनियम-2007 की धारा-37(3) के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-273 तथा 274, दिनांक-07.10.2016 की प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : बिहार विज्ञापन कर अधिनियम-2007 की धारा-37(3) के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-273 तथा 274, दिनांक-07.10.2016 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-61, 62 दिनांक-28.06. 2017/-एस0ओ0-99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, दिनांक-29.06.2017/ एस0ओ0-139, 140, 141, 142, 143, 144, दिनांक-01.09.2017/ए0ओ0-145,146,149,150, दिनांक-07.09.2017/ एस0ओ0-163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, दिनांक-21.09.2017/ एस0ओ0-195, 196, दिनांक-22.09.2017/ एस0ओ0-201, 202, 203,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, दिनांक- 10.10.2017/ एस0ओ0-229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, दिनांक-13.10.2017/ एस0ओ0-247, 248, 249, 250, 251, 252, दिनांक-18. 10.2017, एस0ओ0-255, 256, दिनांक-24.10.2017/ एस0ओ0- 257, 258, दिनांक-30.10.2017/ एस0ओ0-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, दिनांक-29.06.2017, एस0ओ0-115, 116, दिनांक-19.07.2017/ एस0ओ0-129, 130, दिनांक-18.08.2017/ एस0ओ0-131,

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक-22.08.2017/ एस0ओ0-183, 184, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, दिनांक-21.09. 2017/ एस0ओ0- 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, दिनांक-13.10.2017/ एस0ओ0-245, 246, दिनांक-18.10.2017 एवं एस0ओ0-253, 254, दिनांक-23. 10.2017 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखी गयी सभी अधिूसचनाओं की प्रतियां सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी।

(व्यवधान)

अरे निर्जीव पर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति।

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज विभिन्न वर्षों की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का गन्ना उद्योग विभाग से सम्बन्धित प्रतिवेदन सं0-634 एवं खान एवं भूतत्व विभाग से सम्बन्धित प्रतिवेदन सं0-635 तथा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) सं0-636 एवं 637 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति।

श्री श्रीनारायण यादव,सभापति,प्राक्कलन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत प्राक्कलन समिति का 160वॉं प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति।

श्री अजय मंडल,सभापति,राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का पर्यटन विभाग से संबंधित 248वॉं प्रतिवेदन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 257वॉं प्रतिवेदन, समाज कल्याण विभाग से सबंधित 258वॉं प्रतिवेदन

एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग से संबंधित 262वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : सभा सचिव।

सभा सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 78 याचिकाएं प्राप्त हुई है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी जगह पर जाकर बोलिये न।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : महोदय, कार्य स्थगन को स्वीकार किया जाय। ये गरीबों पर अत्याचार है, दलितों पर अत्याचार है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-3/अशोक/01.12.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मॉगों की कुल संख्या-38 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । किसी एक विभाग के अनुदान की मॉग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगाा । शेष मॉगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं मॉग संख्या-49, जल संसाधन विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए 03 (तीन) घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

क्रम सं.	दल का नाम	समय
1)	राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
2)	जनता दल (यूनाईटेड)	52 मिनट
3)	भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
4)	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	20 मिनट
5)	सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
6)	लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
7)	हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
8)	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
9)	निर्दलीय	03 मिनट
		कुल - 180 मिनट

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, अपनी मॉग प्रस्तुत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, महोदय । मॉग रखने के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ ...

अध्यक्ष : रख देते हैं फिर आप बोल लीजियेगा ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"जल संसाधन विभाग के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम -2017 के उपबंध के अतिरिक्त 5,35,00,01,000/-(पाँच अरब पैंतीस करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, मंत्री जी, सिंचाई विभाग के लिये मांग कर रहे हैं। बता दें महोदय कि अभी जो फिलहाल में जो बाढ़ आई थी, बाँध टूट गई थी और बल्कि जो बाढ़ आई उससे तबाही मची लेकिन बाँध टूटने के वजह से और त्राहिमाम मचा और लोगों की जान माल का नुकसान हुआ । महोदय, लगातार, एक बाँध की बात नहीं है, एक बाँध की बात नही हैं लगातार बाँध हैं, सिंचाई विभाग ने .. .

अध्यक्ष : माननीय, नेता, प्रतिपक्ष, आपको तो बोलने के लिए 59 मिनट है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : ठीक है, मुझे पूरी बात रखने दीजिये, मंत्री जी बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : कैसे बैठ जायं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : मेरी बात को सुन लीजिये, आप हर बात पर खड़े होते हैं । यह सिंचाई विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है । नैतिक आधार पर, जो भ्रष्टाचार बाँध घोटाला हुआ, उसके आधार पर इस्तीफा की माँग करते हैं महोदय । इनको अधिकार नहीं है मांग रखने का । माँग किसलिये रख रहे हैं, पैसा लेकर फिर भ्रष्टाचार करने के लिए ?

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माँग प्रस्तुत किया गया है, उस पर आप अपनी राय रखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेतागण, आप जिन खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं, आप जिन गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, उन सभी पर बोलने के लिए 59 मिनट का समय है । 59 मिनट का समय है आपका, 59 मिनट में बोलिये न !

(व्व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : समय की बात नहीं है ।

अध्यक्ष : इन्हीं कमियों को 59 मिनट में बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : हमलोग कह रहे हैं कि इनको मांग रखने का कोई अधिकार ही नहीं है । पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है नीचे से ऊपर तक ।

अध्यक्ष : मॉग तो प्रस्तुत हो चुकी न । अब आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये 59 मिनट समय है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : समय की बात नहीं है । हमलोग इस्तीफा की मॉग करते हैं महोदय और दो डिवीजन बनाया गया इंजीनियरों का, एक फ्लड कंट्रोल के लिए अलग से इंजीनियर्स की नियुक्ति की गई, अलग सेल बनाया गया और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का और जब से नया सेल बना हैं तब से बॉध पर बॉध टूटा जा रहा है महोदय । उद्घाटन वाला बॉध टूट जा रहा है तो कभी कोई बॉध को चूहा खा जा रहा है । लोगों का इतना तबाही मचा, अब तक बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं मुआवजा नहीं मिला, तबाही हुई है और मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी हैं, इसलिये इसका विरोध करते हैं और इस्तिफा की मॉग करते हैं, जब तक इस्तिफा नहीं देंगे महोदय तब तक सरकार का जो काम है वह ढंग से नहीं हो पायेगा महोदय, इसलिये पूरे बिहार की जनता की तरफ से नीतीश जी का और ललन सिंह जी का हमलोग इस्तिफा मांगने का काम करते हैं । जिस हिसाब से सिंचाई विभाग में पूरा तरह से भ्रष्टाचार है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लगाम नहीं है महोदय । ठीकेदारों को कमवाया जा रहा है पैसा । इस तरह से सरकार चलेगी ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तीन घंटे का समय है । तीन घंटा का समय है न !

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश माननीय सदस्य वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : हमलोग इस्तीफा मॉग रहे हैं ।

अध्यक्ष : अगर गड़बड़ी है तो आपके पास तीन घंटा का समय है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो बहस कराना चाहती है, सरकार बहस कराना चाहती है, विपक्ष के सामने प्रस्ताव हमने रखा है, जल संसाधन विभाग पर सरकार बहस कराना चाहती है, विपक्ष बहस से भागना चाहती है, विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है, विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है और विपक्ष सदन से भागना चाहती है, बहस नहीं चाहती है महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूँ आसन से कि अगर कुछ तथ्य है तो आप बहस में हिस्सा ले विपक्ष के माननीय सदस्य, यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिसका पूरा परिवार, पूरा खानदान भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किया हो, घोटाले का इतिहास कायम किया हो, वह घोटाले की बात करेगा ? जवाब देंगे एक-एक चीज का, एक-एक चीज का जवाब मिलेगा कि घोटालेबाज है कौन ?

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही चार बजकर पचास मिनट तक तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/ज्योति/01-12-2017

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

सरकार का उत्तर

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय,....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है और ऐसा है ..

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : जवाब तो सुन लीजिये ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विस्तारपूर्वक नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब भी सुन लीजिये । महोदय, बाकी तो लिखित उत्तर मैं सदन के पटल पर रख दूँगा लेकिन मुख्य तौर पर दो बातों की ओर हम इशारा करना चाहते हैं । महोदय, भागलपुर में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर की योजना है वह 1977 में योजना स्वीकृत हुई । 1977 में योजना स्वीकृत हुई 22568 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा की । मूल योजना यह थी कि गंगा नदी से पानी पंप करके नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाय । महोदय, उस पूरी योजना के नहर का काम मार्च, 2005 तक पूर्ण हुआ । सिर्फ उसका जो तकनीकी और यांत्रिक कार्य था वह बचा हुआ था । इसके अलावा जब नहर का निर्माण हो गया तो उस नहर के नीचे से एन.टी.पी.सी. ने 1990 और 1992 के बीच में एक अंडर पास का निर्माण कराया । वह अन्डर पास तत्कालीन 1990 और 1992 के बीच में और आज ये बात कर रहे हैं घोटाले की और अगर घोटाला हुआ तो 1990 और 1992 में हुआ । 1990 और 1992 में कौन था, किसकी सरकार थी ? 2005 में मार्च तक सारे नहर का निर्माण हुआ कौन सरकार, किसकी सरकार थी ? जिसका पूरा खानदान और पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था जिसका पूरा परिवार आंकठ भ्रष्टाचार में डूबा हो, वह भ्रष्टाचार की बात कर रहा है । भ्रष्टाचार का जिसने इतिहास कायम किया हो, वह भ्रष्टाचार की बात रहा है । अध्यक्ष महोदय, आईना के सामने जब आदमी खड़ा होता है उसको अपना चेहरा

दिखायी पड़ता है और इसलिए जो भ्रष्टाचारी है उसको हर काम में भ्रष्टाचार दिखायी पड़ता है । इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक कहावत बताना चाहता हूँ चोर मचाए शोर ।

अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने चूहा की चर्चा की । इनको ज्ञान नहीं है, ये अपने ज्ञान में वृद्धि कर लें । अभी कम उम्र है, पहली बार सदन के सदस्य हैं, पहली बार सार्वजनिक जीवन में आए हैं । भारत सरकार का जो गाईडलाईन है, भारत मानक संस्थान का नदी तटबंध का निर्माण एवं सम्पोषण मार्गनिर्देशिका है जो 1995 में जारी हुआ है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ । उसको मैं कोट करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाए रखें । अपनी सीट पर जाईये । शांति से सदन चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, इस मार्गनिर्देशिका में जो भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका है उसमें लिखा हुआ है :' ' Roadents and other animals make holes, cavaties and tunnels through and under embankments. These are sources of danger causing leakage and excessive seapage which may give rise to serious breaches during flood periods ''

ये भारत सरकार का 1995 में मार्गनिर्देशिका जारी हुआ है । इस बात का इनको ज्ञान कहाँ है ? नेता विरोधी दल बनना और ज्ञान प्राप्त करना दोनों में बहुत अंतर है और इसी के मद्देनजर अध्यक्ष महोदय, हमलोग निर्देश हर साल जारी करते हैं । हर साल बांध के रख रखाव के लिए जारी करते हैं और इस बार भी हमलोगों ने 2017 में जारी किया । 2017 में निर्देशिका जारी किया कि जितने बांध पर जो रैट होल्स है, फौक्स होल है उन सब पर नियंत्रण रखा जाय, उन सब को किया जाय । इनको क्या मालूम है ? इनको क्या जानकारी है, इनको अगर कोई गवर्ननेंस से, शासन चलाने से कोई मतलब हो तब इनको पता चलेगा लेकिन इनको भाषण देना है, घोटाले की चर्चा करना है और घोटाले की चर्चा ये तब करेंगे जब आकंठ घोटाले में डूबे हुए हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य तौर पर जो फल्ड होते हैं या जो इम्बैंकमेंट्स होते हैं उनको खतरा तीन सोर्सेज से होता है । पहला सोर्स है जो टो के अंदर, रीवर के टो में जो इरोजन होता है, उसके कारण कौलेप्स करता है जो स्लोप, और स्लोप कौलेप्स करता है तो

इम्बैंकमेंट को खतरा होता है । दूसरा खतरा होता है जो रैट्स होल्स हैं और फौक्स होल्स हैं उनसे खतरा होता है । तीसरा खतरा होता है इम्बैंकमेंट के ब्लैक-टौपिंग से। इनको तो गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है । गहराई तक कोई चीज जानने की जरुरत नहीं है तो इनको घोटाला नजर आता है । अध्यक्ष महोदय, चिन्ता न करें घोटाला जो इन्होंने किया है बहुत जल्दी इनको उसका परिणाम, सजा मिलने वाली है । इसलिए आकंठ जब घोटाला ।

(व्यवधान जारी)

हम आपको एक बात बतला दें, घोटाले का, घोटाले में जो चारा खा कर जब जेल गए तो हाथी पर बाहर निकले, ऐसा लगा कि जैसे स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल गए हों । अगर कोई जाता है जेल और हाथी पर निकलता है तो वह बेशर्म होता है, वह भ्रष्टाचारी बेशर्म होता है । बेशर्मी की सारी सीमाएं इन लोगों ने लांघ दी हैं। घोटाला अगर हुआ तो 1992 में हुआ , घोटाला अगर हुआ तो मार्च 2005 में हुआ और इसके लिए वे जवाबदेह हैं, ये लोग जवाबदेह हैं जिनकी उस समय सरकार थी, यही कह कर अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं अपना लिखित भाषण सदन की मेज पर रखता हूं तथा आपसे आग्रह करता हूँ कि वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट बने ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

टर्न-5/01.11.2017/बिपिन

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि : -

'' द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मॉंगों की अनसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2017 के उपबंध के अतिरिक्त 5,35,00,01,000/- (पॉंच अरब पैंतीस करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि : -

'' द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मॉगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2017 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2017 द्वारा स्वीकृति राशि के अतिरिक्त : -

मॉग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 1,55,04,68,000/- (एक अरब पचपन करोड़ चार लाख अड़सठ हजार) रूपये,

मॉग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 42,57,81,000/- (बयालिस करोड़ सनतावन लाख एकासी हजार) रूपये,

मॉग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1,16,05,46,000/- (एक अरब सोलह करोड़ पॉच लाख छियालिस हजार) रूपये,

मॉग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,50,09. 000/- (एक करोड़ पचास लाख नौ हजार) रूपये,

मॉग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 9,65,50,000/- (नौ करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार) रूपये,

मॉग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 12,80,000/- (बारह लाख अस्सी हजार) रूपये,

मॉग संख्या-10 उर्जा विभाग के संबंध में 19,74,000/- (उन्नीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये,

मॉग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 24,00,000/- (चौबीस लाख)रूपये,

मॉग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 6,27,86,000/- (छ: करोड़ सत्ताइस लाख छियासी हजार) रूपये,

मॉग संख्या-15 पेंशन के संबंध में 5,00,000/- (पॉच लाख) रूपये,

मॉग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 4,17,95,70,000/- (चार अरब सत्रह करोड़ पंचानवे लाख सत्तर हजार) रूपये,

मॉग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 22,73,98,000/- (बाइस करोड़ तेहत्तर लाख अनठानवे हजार) रूपये,

मॉग संख्या-19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 12,00,000/- (बारह लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1,72,49,36,000/- (एक अरब बहत्तर करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 30,77,50,29,000/- (तीस अरब सतहत्तर करोड़ पचास लाख उनतीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 28,16,86,000/- (अठ्ठाइस करोड़ सोलह लाख छियासी हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 67,58,000/- (सड़सठ लाख अनठावन हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 39,66,000/- (उनचालीस लाख छियासठ हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 37,97,00,000/- (सैतीस करोड़ सनतानवे लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 48,00,00,000/- (अड़तालीस करोड़) रूपये,

मॉंग संख्या-31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 14,00,000/- (चौदह लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 1,54,30,000/- (एक करोड़ चौवन लाख तीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 26,47,00,000/- (छब्बीस करोड़ सैंतालिस लाख) रूपये,

मॉंग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 4,93,61,000/- (चार करोड़ तेरानवे लाख एकसठ हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 4,00,00,00,000/- (चार अरब) रूपये,

मॉंग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 24,14,21,000/- (चौबीस करोड़ चौदह लाख एक्कीस हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 35,88,88,84,000/- (पैंतीस अरब अठासी करोड़ अठासी लाख चौरासी हजार) रूपये,

मॉंग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 2,02,61,000/- (दो करोड़ दो लाख एकसठ हजार) रूपये,

माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 2,00,00,00,000/- (दो अरब) रूपये,

माँग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 11,13,00,000/- (ग्यारह करोड़ तेरह लाख) रूपये,

माँग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 1,08,61,16,000/- (एक अरब आठ करोड़ एकसठ लाख सोलह हजार) रूपये,

माँग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 30,58,000/- (तीस लाख अनठावन हजार) रूपये,

माँग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 58,86,24,000/- (अनठावन करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 12,29,00,000/- (बाहर करोड़ उनतीस लाख) रूपये,

माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 4,36,92,05,000/- (चार अरब छत्तीस करोड़ बेरानवे लाख पांच हजार) रूपये,

माँग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 18,58,91,000/- (अठारह करोड़ अनठावन लाख एकानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी माँगें स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

'' बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 को
पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 को
पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''विधेयक का खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि : -

'' नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर 9,598/- नौ हजार पांच सौ अनठानवे) करोड़ का अनुपूरक सप्लीमेंट्री बजट सप्लीमेंट्री व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई थी और आज सदन से पास करने के लिए आग्रह करूंगा कि इसको पारित करे ।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग वेल में खड़े हैं उनके बारे में बता दूॅं मैं कि जब उनकी सरकार थी 2004-05 में, उस समय बिहार का प्लैन था, योजना बजट था कुल मिलाकर 4,861/- (चार हजार आठ सौ एकसठ) करोड़ यानी 2004-05 में जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की तो बिहार का प्लैन एक्सपेंडिचर मात्र 4,861/-(चार हजार आठ सौ एकसठ) करोड़ था और 13 साल के एन.डी.ए. की सरकार के सत्ता का परिणाम यह हुआ है कि 2017-18 का जो बजट है वह 80,891 करोड़ ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ? पहले इसको व्यवस्था में ला दीजिए न !

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: लगभग बीस गुणा से ज्यादा बिहार का प्लैन साईज बढ़ा है । तो जो लोग वेल में खड़े होकर नारा लगा रहे हैं जिंदगी भर वे नारा ही लगाते रह जायेंगे । उनको जब 15 साल मौका मिला तो बिहार के अंदर कौन सा घोटाला नहीं हुआ ? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला । एक दर्जन मंत्रियों को जेल जाना पड़ा । एक दर्जन मंत्रियों को । खुद लालूजी को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : समय बढ़ाया गया है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अभी एन.डी.ए. की सरकार है । अभी जो हमने 9,598/- (नौ हजार पांच सौ अनठानवे) करोड़ रूपए का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट रखा है । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी राशि 4,488/-करोड़ रूपए केवल आपदा प्रबंधन में है यानी बिहार के अंदर जो अभूतपूर्व बाढ़ आई थी उस बाढ़ के लिये बिहार सरकार ने 4,488/- (चार हजार चौर सौ अठासी) करोड़ रूपए का बजट प्रावधान कर रखा है । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने 32लाख परिवारों को छः-छः हजार रूपए उनके खाते में जमा करने का काम किया है और जिस पर 2245/-करोड़ रूपए खर्च हुआ है । तो यह नई सरकार बनने के 15 दिनों के अंदर बिहार के अंदर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी और बिना किसी हंगामे के 2,245/-करोड़ रूपए 32लाख परिवारों के खाते में बिहार सरकार ने पहुंचाने का काम किया है । इतना ही नहीं, 32 लाख परिवारों को फूड पैकेट पहुंचाया गया जिसमें 6 किलो चावल, एक किलो दाल, एक किलो आलू, आधा किलो नमक हल्दी हेलोजन 32 लाख परिवारों को पहुंचाया गया और अध्यक्ष महोदय, ... क्रमशः...

टर्न-06/कृष्ण/01.12.2017

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, 894 करोड़ रूपया कृषि इनपुट सबसिडी के लिये मंत्रिपरिषद् ने पिछले दिनों स्वीकृत किया है, जिसमें 6,500 रूपया प्रति हेक्टेअर कृषि आधारित खेतों के लिये और 13,500 हेक्टेअर जो सिंचित भूमि है, उसके लिये प्रावधान किया गया है । भीषण बाढ़ में 8 लाख 10 हजार हेक्टेअर जमीन पर लगी फसल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी थी । बिहार की सड़कों के लिये 400 करोड़ रूपया, जो तटबंध टूट गये थे, क्षतिग्रस्त हो गये थे, इनके लिये 300 करोड़ रूपया और पथ निर्माण की जो सडकें हैं, उसके लिये 200 करोड़ रूपया यानी कुल मिलाकर 4,488 करोड़ रूपया अपने इस अनुपूरक व्यय विवरणी में केवल बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिये हमने प्रावधान किया है और प्रावधान ही नहीं किया है बल्कि हम ने राशि खर्च करने का काम किया है ।

(व्यवधान जारी)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, 3 हजार 77 करोड़ रूपया शिक्षा के क्षेत्र के लिये प्रावधान किया गया है । जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके वेतन भुगतान के लिये 2600 करोड़ रूपया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिये 94 करोड़ रूपया, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के लिये 55 करोड़ रूपया खर्च किया गया है । अध्यक्ष

महोदय, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिये । सदन को यह ज्ञात है कि पिछले दिनों बिहार सरकार ने तीसरा कृषि रोड मैप लॉच करने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में लगभग लंबे समय तक एन0 डी0 ए0 की सरकार रही है और दूसरे कृषि रोड मैप का ही परिणाम है कि बिहार के अंदर 2012 में चावल, 2013 में गेहूं और 2016 में मक्का के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिये बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था । इतना ही नहीं, वर्ष 2012 में धान के उत्पादन 24 क्वींटल प्रति हेक्टेअर और आलू के उत्पादन में 729 क्वींटल प्रति हेक्टेअर विश्व कृतिमान स्थापित किया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, कृषि रोड मैप लागू करने का ही परिणाम है कि औसतन चावल का उत्पादन 44 लाख मे0टन प्रतिवर्ष था, जो बढ़कर 76 लाख मे0 टन प्रति वर्ष हो गया है । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कृषि रोड मैप के फलस्वरूप 33 लाख मे0 टन अतिरिक्त चावल का उत्पादन हो रहा है । वर्ष 2016-17 में अब तक का सर्वाधिक 185 लाख मे0टन खाद्यान का उत्पादन हुआ है, जो अपने आप में रेकॉर्ड है ।

अध्यक्ष महोदय, अगले पांच वर्षों के लिये जो कृषि रोड मैप जारी किया गया है, उसमें 1 लाख 54 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे । वर्ष 2021-22 तक प्रतिवर्ष 324 लाख मे0टन खाद्यान, 159 लाख मे0 टन दूध का उत्पादन, 546 करोड़ अंडे का उत्पादन, 4 लाख मे0टन मांस का उत्पादन, 8 लाख मे0 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, हर तीसरे कृषि रोड मैप के माध्यम से वर्ष 2021-22 तक बिहार के किसानों की आमदनी को दुगना बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार और काम करेगी । इतना ही नहीं, अगले 5 वर्षों में 7 लाख नलकूपों को कृषि फीडर के माध्यम से विद्युत सम्बद्ध प्रदान किया जायेगा । साथ ही साथ अगले पांच वर्षों में वृक्षादन 17 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया है और अभी बिहार में केवल 361 गांव बचे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंच पायी है । आदरणीय मंत्री विजेन्द्र बाबू यहां पर बैठे हुये हैं । मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 31दिसंबर के पहले पहले बिहार के सभी 361 बचे हुये गांवों के अंदर बिजली पहुंचा दी जायेगी अर्थात 31 दिसंबर, 2017 के पहले पहले बिहार में एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा, जहां बिजली नहीं पहुंची होगी । महोदय , अब बिहार में किसी

को लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी । ये लालटेनवाले लोग हैं, जिन्होंने लोगों को बिजली पहुंचाने के बजाय लालटेन थमा दिया था । अब लालटेन, पटना में जो नया म्यूजियम बना है, उसमें रख दिया जायेगा ताकि बिहार के लोगों को मालूम पड़े कि एक जमाना ऐसा था, जब बिहार में गांव के अंदर लालटेन जला करती थी ।

(व्यवधान जारी)

महोदय, बिहार सरकार का ये लक्ष्य है । मेरा जो पूरा भाषण है इनलोगोां को हल्ला करने दीजिये, ये लोग जितना हल्ला कर सकते हैं, यह भी देख लिया जाय । जहां तक सृजन घोटाला है या कोई घोटाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कोई घोटालेबाज नहीं बचेगा । जो घोटाले करनेवाले लोग हैं, वह कोई बचेगा नहीं। आपने सी0बी0आई0 जांच की मांग की, आपने कहा कि सृजन घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय तो बिहार सरकार ने 24 घंटा भी नहीं लगाया और सृजन घोटाले की जांच का आदेश सी0बी0आई0 को दे दिया गया है । अगर भरोसा है तो सी0बी0आई0 जांच का इंतजार कीजिये । कह रहे हैं नेता, प्रतिपक्ष कि एफ0आई0आर0 हो गया, मेरे ऊपर चार्जशीट नहीं हुआ । तो भाई, चार्जशीट भी हो जायेगा । आपने जो एक हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति इकट्‌ठा किया है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय, जिनलोगों ने बिहार के खजाने को लूट कर बिहार के खजाने को खाली कर दिया था, जिनलोगों ने बिहार में सड़कों को गड्ढे में बदल दिया था, जिनलोगों के राज में शाम को 6 बजे के बाद निकलना बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से श्री नीतीश कुमार की कृपा से सत्ता में लौट कर आये थे और डेढ़ साल भी सत्ता में नहीं रह पाये, इनको वापस सत्ता से च्युत होना पड़ा है और जिन्दगी भर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसी प्रकार वेल में आकर नारा लगाते रहेंगे।

(व्यवधान जारी)

महोदय, इनको बिहार की जनता दोबारा मौका नहीं देनेवाली है । महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है, केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर बिहार के विकास के लिये कार्य करेगा । बिहार को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे भाषण की जो प्रति है, वह मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो दस्तावेज सदन के पटल पर रखा है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(माननीय उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, वेल से आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाईये । आप ही लोगों का गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको आप देख लीजियेगा और देखकर उसको एक्सपंज कर दीजियेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । देख कर जो असंसदीय शब्द होंगे, उनको निकाल दिया जाय ।

माननीय सदस्यगण, मैं पूरी कार्यवाही देख लूंगा । जिनके द्वारा भी असंसदीय शब्द कहे गये होंगे, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण वेल से अपनी-अपनी जगह पर चले गये।)

गैर-सरकारी संकल्प

माननीय सदस्यगण,आज सदन में स्वीकृत कुल 88 गैर सरकारी संकल्पों पर विचार विमर्श किया जाना है । अगर सदन की राय हो तो सभी संकल्पों को संबंधित विभागों में विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जायेगा ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01.12.2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 62 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

टर्न-7/राजेश/1.12.17

समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,षोडश बिहार विधान सभा का अष्टम सत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुई ।

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति को प्रभारी मंत्री कृषि विभाग द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं बिहार विधान सभा में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 10 (दस) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । सत्र के दौरान 07 जननायकों के साथ वर्त्तमान विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री आनंद भूषण पाण्डेय के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित जल संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ, सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई तथा शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई ।

इस सत्र में निम्न 04 (चार) राजकीय विधेयकों को सदन की स्वीकृति मिली:-

(1) बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017
(2) बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017,
(3) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017,
(4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017 ।

सत्र के दौरान कुल-700 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 572 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 13 अल्पसूचित, 482 तारांकित एवं 77 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-39, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर-119, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-03 एवं 411 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-137 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 136 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुआ । कुल-97 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 78 स्वीकृत एवं 19 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल-117 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 06 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 109 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 02 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, उम्मीद है कि इस सदन में अब हमलोगों को नये वर्ष में ही मिलने की संभावना है । इसलिए नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****

परिशिष्ट–1

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के विधान सभा के शीतकालीन सत्र में अभिभाषण हेतु सामग्री

(नवम्बर 2017)

नवम्बर, 2015 में जल संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् विभाग के कार्यकलाप की समीक्षा के क्रम में मेरा यह दृढ़ विश्वास रहा कि राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु यदि किसी एक क्षेत्र का विकास किया जाना अति आवश्यक है तो वह सिंचाई प्रक्षेत्र का विकास किया जाना है। विभाग के कार्य क्षेत्र में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से Ultimate Irrigation Potential 53.53 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य के विरूद्ध यह आवश्यक जान पड़ा कि एक ओर जहाँ नई सिंचाई क्षमता का क्रमागत विकास किया ज़ाना आवश्यक है वहीं दूसरी तरफ वर्त्तमान में विकसित सिंचाई क्षमता में लगातार हो रहे कमी को भी पुनर्स्थापित करना आवश्यक है।

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि नवम्बर, 2015 से अब तक सिंचाई की कई योजनाएँ यथा लबाईच–रामपुर बराज, जगन्नाथ वीयर, मोर वीयर, सोलहंडा वीयर, पंतित वीयर, उदेरास्थान बराज योजना, नसरतपुर वीयर योजना, कचनामा वीयर योजना का उद्घाटन किया गया है जिससे कुल 74302 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, जिससे पटना, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया जिलों में सिंचाई सुविधा विकसित हुई है।

सिंचाई योजनाओं का उल्लेख करते हुए निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं की स्थिति से सदन को अवगत कराना मैं आवश्यक समझता हूँ –

- **बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना** :–

यह वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है जो समयान्तराल में उचित ध्यान न दिए जाने के कारण लंबित रह गया था। इस योजना से भागलपुर जिले के पीरपैंती, कहलगांव एवं सन्हौली प्रखण्ड के कुल 22568 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस योजना में प्रथम स्टेज लिफ्ट 17 मी० तथा द्वितीय स्टेज लिफ्ट 27 मी० का है जिसके द्वारा गंगा नदी के जल को दोनों फेज में 12–12 पम्पों के मदद से लिफ्ट कर नहरों के माध्यम से जल पहुंचाना प्रस्तावित है। फेज–। में 60 क्यूसेक का 6 पम्प तथा 150 क्यूसेक के 6 पम्प अर्थात् कुल 12 पम्पों की व्यवस्था रखी गई है उसी प्रकार फेज–।। में 63 क्यूसेक के 7 पम्प तथा 150 क्यूसेक के 5 पम्प की व्यवस्था है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना पर कार्य मद में मार्च, 2005 तक रु0 21.32 करोड़ की राशि व्यय किया गया है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः नहर का कार्य सम्मिलित है। कार्यपालक अभियंता, शिवनारायणपुर द्वारा दिनांक 03.05.2005 में ही अंडरपास के गलत निर्माण एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा नक्शे की सशर्त अनुमोदन के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के संबंध में एन0टी0पी0सी0 को आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

वर्ष 2005 मार्च से अब तक इस योजना पर कुल रु0 264.08 करोड़ की राशि खर्च किया गया है, जिसमें मुख्यतः फेज–। एवं ।। के पम्प हाउस के असैनिक तथा यांत्रिक कार्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2005 के पूर्व कराए गए मुख्य नहर के निर्माण के लिए वर्त्तमान व्यवस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

मैंने इस योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा कराने हेतु निदेश देकर इसकी विशेष मोनिटरिंग सुनिश्चित की। इसके फेज-I एवं फेज-II का पम्प तथा मुख्य नहर प्रणाली का कार्य पूरा कर इसका उद्घाटन दिनांक 20.09.2017 को प्रस्तावित था। इसके उद्घाटन के पूर्व दिनांक 19.09.2017 को ट्रायल रन के दौरान सभी पम्पों को चलाकर इसका परीक्षण किया गया एवं नहर में जलश्राव प्रवाहित किया गया। इस परीक्षण के दौरान 5.35 आर0डी0 पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित अंडरपास के ऊपर नहर का बायां बैंक 15 फीट की लंबाई में क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रस्तावित उद्घाटन स्थगित किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस मुख्य नहर का निर्माण वर्ष 1985 में हुआ है। इसके 5.35 आर0डी0 पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा आवागमन हेतु अंडरपास निर्मित है। इस अंडरपास के निर्माण हेतु 1987 में मुख्य अभियंता, भागलपुर से एन0टी0पी0सी0 द्वारा तैयार किए गए नक्शे पर अनुमोदन लिया गया है। मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में यह शर्त रखा गया था कि – (1) डेक स्लैब के ऊपर बिटुमिन पेंटिंग, (2) इसके ऊपर 5 लेयर बिटुमिन फेल्ट, (3) इसके ऊपर 4 इंच पी0सी0सी0 (1:2:4) किया जाना तथा डेक स्लैब के दोनों छोर पर 2 फीट मोटाई में मोनोलिथिक

आर0सी0सी0 वाल भी निर्मित किया जाए। इस अंडरपास का निर्माण एन0टी0पी0सी0 द्वारा 1990–92 तक की अवधि में हुआ, परन्तु दिए गए शर्त का पालन नहीं किया गया, जिसपर तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शिवनारायणपुर द्वारा पत्र[redacted]1 [redacted] आपत्ति दर्ज किया गया था।

एन0टी0पी0सी0 ने लिखित तौर पर अंडरपास निर्माण में की गई अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण शीघ्रताशीघ्र कर देने को स्वीकारा तथा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति का कार्य एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रारंभ करा दिया गया है। आशा है कि माह जनवरी, 2018 में बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना का उद्घाटन कर दिया जाएगा।

- <u>उत्तर कोयल जलाशय योजना</u> :–

यह बिहार–झारखण्ड की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का कार्य वर्ष 1972 में प्रारंभ हुआ। इस योजना की मूल प्राक्कलित राशि रुपए 30 करोड़ थी। वर्ष 1998 में रुपए 814.72 करोड़ की लागत राशि पर इस योजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2016 के प्राइस लेवल पर इस योजना की लागत राशि रु0 2391.36 करोड़ आकलित है एवं मार्च 2016 तक इस योजना पर रु0 769.09 करोड़ का व्यय हुआ है। इस प्रकार इस योजना का अवशेष लागत रुपए 1622.2 करोड़ है।

इस योजना में उत्तर कोयल नदी पर कुटकु ग्राम के पास डैम का निर्माण तथा 96 कि0मी0 नीचे मुहम्मदगंज के निकट पिक–अप बराज का निर्माण सम्मिलित

है, परन्तु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में इस योजना का कार्य कई वर्षों से अवरूद्ध है।

उत्तर कोयल योजना के अवशेष कार्यों के निर्माण में मुख्य बाधा, वन स्वीकृति संबंधित मुद्दों का निराकरण करते हुए इसके कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पहल की गई। इस योजना से बिहार भाग के औरंगाबाद तथा गया जिले में 91,917 हे० तथा झारखण्ड के गढ़वा जिले में 19,604 हे० में सिंचाई सुविधा बहाल होगी। भारत सरकार के स्तर से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु मे० वॉपकोष लि०को० परियोजना प्रबंधन परामर्शी नियुक्त किया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय संस्था से कराने हेतु राज्य सरकार से सहमति प्राप्त किया गया जिसमें नीति आयोग द्वारा पहल कर Long Term Irrigation Fund (LTIF) के तहत वित्त सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बिहार झारखण्ड के बीच संयुक्त अवयवों (Joint Component) की लागत रु0 1013.11 करोड़ आकलित हुआ है जिसमें मुख्य रूप से वन का Net Present Value रु0 607.00 करोड़ एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु रु0 43 करोड़ की राशि सम्मिलित है जिसका शत्–प्रतिशत भार केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान करने का निर्णय हुआ।

संयुक्त अवयव की राशि को छोड़कर बिहार भाग में रु0 531.07 करोड़ तथा झारखण्ड भाग में रु0 78.08 करोड़ का कार्य किया जाना है जिसे केन्द्रीय सहायता 60% एवं राजयांश 40% के आधार पर किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर कोयल जलाशय योजना के मुख्य नहर के 103 आर0डी0 पर बिहार राज्य को 2750 क्यूसेक जलश्राव एवं उक्त भाग में झारखण्ड राज्य की हिस्सेदारी 300 क्यूसेक है, परन्तु झारखण्ड राज्य के द्वारा 0 से 103 आर0डी0 के बीच अनाधिकृत रूप से आउटलेट निर्माण कर लेने के फलस्वरूप बिहार राज्य को 103 आर0डी0 पर 1200—1300 क्यूसेक जलश्राव ही उपलब्ध हो पाता है। बिहार राज्य के औरंगाबाद एवं गया जिले में कृषकों को इस योजना से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि 103 आर0डी0 पर कम से कम 4250 क्यूसेक जलश्राव उपलब्ध हो। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है एवं इस मुद्दे को उत्तर कोयल जलाशय योजना के संबंध में दिनांक 08.11.2017 को संपन्न सी0ई0ओ0, नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमिटि (Empowered Committee) की बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा उठाया गया। यह भी उल्लेख करना है कि उत्तर कोयल जलाशय योजना से गया जिले में मुख्य नहर के आर0डी0 326.90 से 357.90 बीच सिंचाई हेतु वितरणी एवं जलवाहा के निर्माण से संबंधित रु0 213.27 करोड़ की लागत राशि की योजना वर्तमान में रु0 1622.27 करोड़ के अवशेष राशि में सम्मिलित नहीं हो सका है। इस मुद्दे को भी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को संपन्न सी0ई0ओ0, नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमिटि (Empowered Committee) की बैठक में उठाया गया। इन दोनों विन्दुओं पर उक्त बैठक में सहमति प्रदान की गई है।

<u>इन्द्रपुरी जलाशय योजना</u> –

सोन नदी पर स्थित इन्द्रपुरी बराज से निःसृत सोन नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता का पूर्ण रूपेण उपयोग करने के लिए ससमय आवश्यक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सोन नहर प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने के साथ–साथ लगभग 400 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय योजना का निर्माण किया जाना है। इस योजना के पूर्ण होने पर जलाशय निर्माण के उपरान्त इन्द्रपुरी बराज पर सालों भर सिंचाई हेतु यथेष्ट मात्रा में जल उपलब्ध होगी तथा 400 मेगावॉट जल विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि सोन नदी पर इन्द्रपुरी बराज से लगभग 80 कि0मी0 अपस्ट्रीम में मटिऑव (रोहतास) ग्राम के पास प्रस्तावित डैम का डूब क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में पड़ता है। राज्यों से सहमति बनाने हेतु पूर्व में केन्द्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर अनेकों अन्तर्राज्यीय बैठकें सम्पन्न हुई थी। परन्तु ओवरा जल विद्युत परियोजना के टेल रेस के डुबने के कारण उत्तर प्रदेश से सहमति नहीं मिल सकी थी। अंततः दिनांकः 05.02.2016 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में सम्पन्न अन्तर्राज्यीय बैठक में उत्तर प्रदेश की सहमति से यह निर्णय हुआ कि बिहार सरकार इन्द्रपुरी जलाशय का पूर्ण भंडार स्तर 169.0 मी0 एवं अधिकतम जलस्तर 171.0 मी0 पर विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा जलाशय में संचयित होने वाले जल के कारण उत्पन्न एफलक्स के प्रभाव का अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करे। इस बैठक में झारखंड के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इन्द्रपुरी जलाशय योजना के डी0पी0आर0 तैयारी का कार्य रॉडिक कन्सल्टेंट को सौंपा गया है। इस कार्य का डी0पी0आर0 कन्सल्टेंट को 18 माह के भीतर अर्थात् फरवरी 2019 समर्पित करना है।

- <u>कुंडघाट जलाशय योजना</u> :–

इस योजना में जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड स्थित बहुवार नदी पर लछुवार गांव में कुंडघाट के नजदीक लगभग 40 मी0 ऊँचाई तथा स्पीलवे के साथ लगभग 354 मी0 की लंबाई में मिट्टी बांध का निर्माण किया जा रहा है जिससे 4030 एकड़ खरीफ तथा 1000 एकड़ रबी सिंचाई करना प्रस्तावित है। इसकी द्वितीय प्रशासनिक स्वीकृति कुल रुपए 55.7152 करोड़ का प्राप्त है। इसका निर्माण पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में 2014 से बंद था जो वर्ष 2015 में प्राप्त होने के पश्चात् डैम का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपया 185.21 करोड़ का फेज–। के लिए तैयार किया गया है। इसके सफल कार्यान्वयन के पश्चात् Spillway Gate, वितरण प्रणाली एवं अन्य अव्वयों के लिए अलग से प्रावधान किया जायेगा। फेज–। के प्राक्कलन में बढ़ोतरी का मुख्य कारण रूपांकण में परिवर्तन, करटेन ग्राउटिंग, इन्सट्रूमेंटेशन, विद्युतीकरण इत्यादि कार्य हो रहा है।

- <u>उदेरास्थान बराज योजना एवं लवाइच–रामपुर सिंचाई योजना का विस्तारीकरण</u> :–

फल्गु नदी पर जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित उदेरास्थान गाँव के नजदीक रु0 531 करोड़ की लागत से 366 मी0 लम्बे उदेरास्थान बराज का

निर्माण किया गया है। इस बराज से जहानाबाद, गया नालंदा जिले के 34,385 हे0 क्षेत्र में खरीफ सिंचाई उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य नहर, विभिन्न शाखा नहर एवं उपवितरणिओं से निःसृत सभी लघु नहर एवं जलवाहा के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य कराकर एवं इस बराज के मुख्य नहर, शाखा नहर से लघु वितरण प्रणाली का निर्माण कर 41890 हे0 इष्टम सिंचाई क्षमता का सृजित करने हुए रु0 187.072 करोड़ की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

लवाईच–रामपुर सिंचाई योजना से वर्त्तमान में लगभग 6 हजार भूमि में सुनिश्चित खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ नहर प्रणालियों के बीच में रईयती भूमि होने एवं अतिक्रमण होने के कारण नहर प्रणालियों को पूरी लंबाई में पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही दिनांक 07.08.2017 को दरधा नदी में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण दाएं एफलक्स बांध में क्षति हुई एवं जिस भाग में बोल्डर पीचिग कार्य नहीं किया गया था वहां स्लोप का लगभग 300 मी0 भाग में क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही नगणियां पईन का शीर्ष नियामक–सह–एकपथीय सेतु का कुछ भाग एवं नहर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्त्तमान में नहर प्रणालियों के कार्य फॉल, एकपथीय सेतु, आउटलेट, कंट्रोल रूम, बोल्डर पीचिंग आदि कार्य का प्रावधान कुल 11.8173 करोड़ की लागत से योजना पर बनाकर लवाईच–रामपुर के पूर्व निर्धारित 8 हजार हेक्टेयर सिंचाई सुविधा के अलावे एक हजार क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

- <u>सिंचाई में रिकॉर्ड उपलब्धि</u> :–

वर्ष 2016–17 के दौरान खरीफ में 19.31 लाख हे0, रब्बी में 7.14 लाख हे0 एवं गरमा में 0.27 लाख हे0 कुल 26.72 लाख हे0 क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई जो कि अब तक का सर्वकालिक रिकॉर्ड उपलब्धि है।

- <u>टाल योजना</u> :–

टाल योजना के जल के बेहतर आर्थिक उपयोग एवं प्रबंधन के लिए विभाग दृढ़संकल्प है। इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य अवयव 05 अदद Anti Flood Sluice का निर्माण, उत्तरी एवं दक्षिण छोर पर 02 अदद तटबंध का निर्माण, जमींदारी बांधों का उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण, भू–गर्भ जल के साथ सतही जल का सर्वोत्तम आर्थिक उपयोग के साथ 215 प्रतिशत cropping intensity प्राप्त करना, टाल क्षेत्र में उपस्थित जलाशयों को गहरा कर इसमें मछली तथा जलीय उत्पाद को विकसित करना तथा अवस्थित पईनों का डिसिल्टिंग कर ड्रेनेज व्यवस्था को कारगर बनाना है। बलगुदर घाट तथा खनुआ सोता, डोमना सोता, गायघाट सोता एवं लंगड़ी पईन पर कुल 5 अदद् एण्टी फ्लड स्लूईस (Anti Flood Sluice) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। 4 अदद् बराज, 171 अदद् चेक डैम/वीयर का निर्माण है। उत्तरी छोर पर 54 कि0मी0 की लम्बाई में बलगुदर घाट से बाढ़–सरमेरा रोड तक तटबंध निर्माण तथा दक्षिणी छोर पर अशोक धाम से फतुहा तक 95 कि0मी0 लम्बाई में तटबंध निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावे सिंचाई सुविधा बहाल करने हेतु सम्पूर्ण टाल क्षेत्र में लगभग

20,000 ट्यूबवेल (Tubewell) गाड़ने का भी प्रस्ताव है। साथ ही 52 अदद् टाल क्षेत्र के जलाशयों को गहरा कर मछली पालन किया जाएगा। पूरे टाल क्षेत्र की विकास की योजना का एक प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष दिनांक 09.11.2017 को दिया गया। उन्होंने निदेश दिया कि इस योजना के संबंध में हितधारकों से परामर्श कर लिया जाय ताकि योजना का लाभ शत–प्रतिशत प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में विभागीय वेबसाईट तथा कैम्प लगाकर हितधारकों का परामर्श लेने की योजना है। योजना पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कुल 1893 करोड़ की योजना केन्द्रीय जल आयोग को भेजा जा रहा है।

- <u>नदी जोड़ योजना</u> :–

विभाग राज्य की नदियों को आपस में जोड़कर नई योजनाओं के सृजन एवं कार्यान्वयन पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। इन योजनाओं में सिंचाई के साथ बाढ़ प्रबंधन की अपार संभावनाएँ हैं। इस क्रम में कोशी बेसीन से पूर्व महानन्दा बेसीन में बीच की नदियों को जोड़कर जलान्तरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना – कोशी–मेची–लिंक योजना है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त हुई है कि इस पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। योजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन एवं आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी द्वारा पूरा कर लिया गया है एवं पब्लिक हियरिंग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना है। इस योजना के

कार्यान्वयन से अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के 2,11,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

कोसी मेची लिंक योजना के अतिरिक्त एक अन्य योजना सकरी नदी पर बकसोती बराज से नहर निकालकर अहर–पईन को इंटीग्रेट करते हुए नाटा नदी में जलअंतरण की योजना का योजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इस योजना में सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण कर 20000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ वर्ष 1958 से कार्यरत पौरा (सकरी नदी) वीयर योजना में जल का उपलब्धता बढ़ाने के साथ–साथ 31,370 हेक्टेयर सी0सी0ए0 में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है। उसी प्रकार नाटा नदी पर निर्मित वीयर को बराज में उन्नयन कर 17,438 हेक्टेयर सी0सी0ए0 में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित किया जाना है। इस योजना से कुल 68,808 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिसका लाभान्वित क्षेत्र नवादा, नालंदा, शेखपुरा एवं जमुई जिला होगा। इस योजना पर केन्द्रीय जल आयोग के निदेशानुसार झारखण्ड सरकार से अंतर्राज्यीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग में यह योजना की स्वीकृति की लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है एवं स्वीकृति के अंतिम चरण में है।

- <u>सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से निःसृत शोधित जल से सिंचाई</u> :–

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गंगा की अविरलता एवं निर्मलता बनाये रखने हेतु निदेश दिया गया कि शहरो में निर्मित होने वाले Sewerage तथा Storm Water Drainage के जल को शोधित कर यथा संभव सिंचाई एवं कृषि कार्य में उपयोग

किया जाये एवं किसी भी परिस्थिति में शोधित जल को नदियों में नही गिराया जायेगा।

उपर्युक्त निदेश के क्रम मे निर्णय लिया गया की पटना में निर्मित होने वाले सभी एस0टी0पी0 एवं 100 एम0एल0डी0 से अधिक क्षमता वाले एस0टी0पी0 के effluent का सिंचाई में व्यवहार करने के संबंध में डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा।

जल संसाधन विभाग द्वारा इस दिशा में पटना के बेऊर, करमलीचक, सैदपुर, कंकड़बाग एवं पहाड़ी के साथ–साथ दीघा में अवस्थित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के शोधित जल का उपयोग कृषि सिंचाई में करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परामर्शियों के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

- मार्च, 2018 तक का सिंचाई क्षमता विकसित करने हेतु लक्ष्य :–

मार्च, 2018 तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन की दिशा में जो योजनाएँ कार्यान्वित की रही है, उसमें उदेरास्थान बराज योजना, मुंगेर पहाड़ी से निःसृत जलश्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना, चानकेन सिंचाई योजना, दनवार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजना, दुर्गावती बायां मुख्य नहर के 1.70 वि०दू० से निःसृत उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, सेंधवा चेक डैम निर्माण कार्य, मोहाने नदी पर छोटी छरियारी गांव के पास सिवान वीयर का निर्माण कार्य, ढाढर अपसरण योजना, कुण्डघाट जलाशय योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, पश्चिमी कोसी नहर योजना, बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना, पुनपुन बराज योजना, लखीसराय जिलांतर्गत भवरिया चेक डैम, महिसौड़ा वीयर, सीसमा वीयर का जीर्णोद्धार एवं गौरा वीयर का निर्माण कार्य, पश्चिमी गंडक नहर विस्तारीकरण फेज–।।, पूर्वी गंडक नहर

प्रणाली फेज–।। के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 66048 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया जाएगा।

उसी प्रकार ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन की दिशा में चौंसा पम्प नहर, सुअरा वीयर योजना का पुनर्स्थापन, घोड़सरहा वितरणी का पुनर्स्थापन, भोजनापुर वितरणी पर एक्वाडक्ट, अपर किउल जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य, पूर्वी कोसी नहर पुनर्स्थापन योजना, अमरा वितरणी का पुनर्स्थापन, सैदपुर वितरणी का पुनर्स्थापन, पटना मुख्य नहर अंतर्गत इमामगंज, भरत लाईन एवं देवराहा उपवितरणी का पुनर्स्थापन, नटईया खालसापुर पम्प नहर योजना, कर्मनासा सिंचाई प्रणाली के कर्मनासा लिंक नहर, कर्मनासा मुख्य नहर एवं वितरणियों का जीर्णोद्धार, कर्मनासा सिंचाई प्रणाली के कर्मनासा मुख्य नहर के विस्तार एवं इससे निःसृत कुलहरिया वितरणी का जीर्णोद्धार कार्य, उत्तर कोयल नहर मुख्य नहर 0.00 से 92.70 कि०मी० तक एवं इससे निःसृत वितरण प्रणाली के तल सफाई, सुदृढ़ीकरण एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य, सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर, पटना मुख्य नहर तथा आरा मुख्य नहर एवं इनसे निःसृत वितरणी का पुनर्स्थापन, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर के अंतर्गत नवनेर उप वितरणी, कर्मडीह लघु नहर एवं जगतपुर लघु नहर सोन वर्षा वितरणी एवं इनसे निसृत नहर प्रणाली तथा पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 252.70 के अंतर्गत कुटकुरी, लट्टा, चापुक, मीरपुर एवं बरूणा लघु नहर, बिहटा एवं जमालपुर उप वितरणी, दुलारचक उप वितरणी एवं इनसे निःसृत नहर प्रणाली तथा भगवतीपुर एवं इससे निःसृत नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य, पंचाने सिंचाई योजना एवं पैमार सिंचाई योजना का

पुनस्थापन कार्य, चन्दन जलाशय योजना अन्तर्गत उच्चस्तरीय मुख्य नहर के सुखनियाँ वीयर एवं डकाई वीयर का पुनर्स्थापन, दरियापुर वीयर सिंचाई योजना, सोन पश्चिमी समानान्तर लिंक नहर, मलई बराज सिंचाई योजना, कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प योजना, कुन्दर बराज योजना का कार्य, बदुआ जलाशय योजना अन्तर्गत पुनर्स्थापन कार्य, अपर मोरहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्वार कार्य, सोन नहर प्रणाली अंतर्गत चौसा शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 12.924 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा चौसा शाखा नहर से निःसृत कोचस वितरणी एवं इन्दौर वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य, बटाने जलाशय योजना, सोन नहर प्रणाली अर्न्तगत पश्चिमी लिंक कैनाल का लाईनिंग कार्य, पश्चिमी गंडक नहर का पुनर्स्थापन योजना, जैतपुरा पम्प नहर योजना आदि से 114161 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन किया जाना है।

- <u>वर्ष 2017 का अप्रत्याशित बाढ़ की विभीषिका एवं बाढ़ 2018 की तैयारी</u> :—

बाढ़ 2017 में 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में नेपाल भाग में लगातार एक्सट्रिमलि हेवी रेन फॉल (>244 मि0मी0 वर्षापात) एवं हेवी रेन फॉल (144—244 मि0मी0 वर्षापात) दर्ज हुए। उसी प्रकार उत्तर—पूर्वी एवं उत्तर बिहार में 10 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में लगातार हेवी रेनफॉल एवं एक्सट्रिमलि हेवी रेल फॉल के कारण नेपाल से बिहार में आनेवाली सभी नदियों यथा मेची, कनकई, परमान, महानंदा, डॉक, सौरा, नूना, गंडक, कोसी, भूतही बलान, कमला बलान, बागमती, बूढ़ी गंडक एवं अदवारा समूह इत्यादि नदियों में हेवी रेन फॉल के 68 एवं एक्सट्रिमलि हेवी रेन फॉल के 20 इवेंट्स के कारण अप्रत्याशित जलश्राव प्रवाहित हुआ। फलस्वरूप कई नदियों में इस वर्ष नया एच0एफ0एल0 दर्ज हुआ।

कोसी नदी के बसुआ स्थल पर दिनांक 13.08.2017 को 49.20 मी0, बागमती नदी के ढेंग स्थल पर 72.60 मी0, लालबकिया नदी के गोवाबारी स्थल पर 73.80 मी0 तथा दिनांक 17.08.2017 को गंडक नदी के डुमरिया घाट स्थल पर 64.10 मी0 तथा महानंदा नदी के ढेंगरा घाट एवं झावा स्थल पर दिनांक 14.08.2017 को क्रमशः 38.16 मी0 एवं 33.90 मी0 का नया एच0एफ0एल0 दर्ज हुआ। परिणामतः गंडक नदी में दिनांक 13.08.2017 को अधिकतम जलश्राव 524500 क्यूसेक, 2.0 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 7 दिनों तक, 1.50 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 16 दिनों तक तथा 1.0 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 45 दिनों तक दर्ज हुआ। कोसी नदी में दिनांक 12.08.2017 को अधिकतम जलश्राव 280225 क्यूसेक, 2 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 10 दिनों तक, 1.50 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 37 दिनों तक एवं 1 लाख क्यूसेक से अधिक जलश्राव 85 दिनों तक प्रवाहित हुआ। सोन नदी में दिनांक 27.07.2017 को 365195 क्यूसेक का अधिकतम जलश्राव प्रवाहित हुआ है।

गंडक नदी में अप्रत्याशित जलश्राव 524500 क्यूसेक प्रवाहित होने के फलस्वरूप प0 चम्पारण जिलान्तर्गत पी0पी0 तटबंध के चन्द्रपूर रिटायर लाईन, गोपालगंज जिलान्तर्गत सलेमपुर छरकी, सारण तटबंध के 114 कि0मी0 के पास ग्राम सदुआ तथा कि0मी0 86–88 के बीच 8 विन्दुओं पर, बंधौली–शीतलपुर–फैजुलापुर जमींदारी बांध एवं बैकुण्ठपुर रिटायर लाईन, ललबकिया नदी पर निर्मित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बलुआ ग्राम के निकट, दायां मार्जिनल बांध, दायां एफलक्स बांध, फुलवरिया ग्राम, ग्राम सपही के निकट, बैरगनियां रिंग बांध, मसहा नरोत्तम एवं बलुआ ग्राम के निकट दिनांक 13.08.2017 को क्षतिग्रस्त हुआ। बागमती नदी में अप्रत्याशित जलश्राव के फलस्वरूप दिनांक 14.08.2017 को बागमती बायां तटबंध के ग्राम भादा डीह के कि0मी0 48.26, 48.38, 48.62 तथा 48.95 के चार विन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। उसी प्रकार अत्यधिक जलश्राव के कारण महानंदा नदी पर निर्मित बेलगाछी झउआ महानंदा दायां तटबंध के ग्राम मीनापुर, ग्राम शिवगंज, ग्राम गूढ़ौनी, बागढोव झउआ महानंदा दायां तटबंध के ग्राम भर्री, झउआ दिल्ली दिवानगंज महानंदा बायां तटबंध के ग्राम मरही के कि0मी0 14.25, 18.0, 18.75 स्थल पर तथा गाछ पाड़ा मौजा बाड़ी के कोचाधामन प्रखण्ड, किशनगंज के कि0मी0 0.0 से 0.5 एवं 4.0 के

पास क्षतिग्रस्त हुआ। प0 कनकई नदी पर स्थित अररिया जिले के प्रखण्ड जोकीघाट अंतर्गत मझकुरी जहानपुर तटबंध एवं पूर्णियां जिले के जलालगढ़ प्रखण्ड अंतर्गत परमान नदी पर निर्मित खाताहाट तटबंध कतिपय विन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ। बूढ़ी गंडक नदी के दाएं तटबंध के कि0मी0 8.00–9.00 के बीच अवस्थित ग्राम रजवाड़ा के निकट स्थित एंटी फ्लड स्लूईस दिनांक 20.08.2017 को ध्वस्त हुआ, जिस कारण 60 मी0 की लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। कमला बलान नदी में आए अप्रत्याशित जलश्राव के कारण दिनांक 14.08.2017 को कमला बलान दायां तटबंध के ग्राम बौर के 73.50, 74.60 कि0मी0 तथा ग्राम बिशनपुर के 57.14 कि0मी0 स्थल पर क्षतिग्रस्त हुआ। ललबकिया नदी पर निर्मित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम बलुआ के कि0मी0 3.0 तथा ग्राम बलुआ रोजा चौक के कि0मी0 3.4 पर क्षतिग्रस्त हुआ। अधवारा नदी पर निर्माणाधीन बाएं एवं दाएं तटबंध पर क्रमशः 210 एवं 295 मी0 की लंबाई में तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ था। खिरोई नदी दायां तटबंध के जाले प्रखण्ड स्थित ग्राम भभौल के कि0मी0 7.1 एवं 10.8 स्थल पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ।

विभाग द्वारा अप्रत्याशित बाढ़ के कारण हुए व्यापक क्षति को देखते हुए जिन जगहों पर पदाधिकारियों के शिथिलता पाई गई उनपर कार्रवाई करते हुए एक मुख्य अभियंता, 5 कार्यपालक अभियंता, 6 सहायक अभियंता एवं 7 कनीय अभियंताओं को निलंबित किया गया और इस प्रकार एक संदेश दिया गया कि बाढ़ के समय किसी प्रकार की शिथिलता को विभाग बर्दाश्त नहीं करेगी। कई स्थलों पर विभागीय पदाधिकारियों के सतत् निगरानी एवं चौकसी के कारण तटबंधों एवं संरचनाओं को टूटने की स्थिति से बचाया गया। उदाहरणस्वरूप गंडक नदी के बाएं किनारे प्रखण्ड बगहा–1, मिरजा टोली, सारण तटबंध के 76.4 कि0मी0 स्थल एवं अन्य स्थलों पर अहर्निश बाढ़ संरक्षात्मक कार्य कराकर तटबंध एवं संरचनाओं को सुरक्षात्मक रखा गया।

वर्ष 2018 बाढ़ के पूर्व राज्य सरकार के द्वारा तटबंधों के क्षतिग्रस्त बिन्दुओं की मरम्मति हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसके तहत कुल 305 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन 1421.00 करोड़ रुपये की लागत राशि का प्रस्ताव

पर स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 90 अदद् अन्य योजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन है जिसकी कुल राशि रु० 109 करोड़ है।

- **वर्षाकाल के दौरान तटबंधों में हुई क्षति में चूहे, लोमड़ी आदि की भूमिका**

माह अगस्त, 2017 के अंतिम सप्ताह में कई समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया में चूहों के द्वारा तटबंधों को क्षतिग्रस्त किये जाने का समाचार दिखाया गया। इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ अवधि में तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण चूहे Rodents एवं इस समूह के अन्य जानवरों द्वारा तटबंधों को पहुँचाए जाने वाला क्षति है। इस परिप्रेक्ष्य में बाढ़ अवधि के पूर्व विभाग द्वारा ऐसे Rodents परिवार के जानवरों के द्वारा किये गये छेदों एवं पहुँचाई गई क्षति की पहचान कर बाढ़ पूर्व अर्थात 15 जून तक इसकी मरम्मति करा लेने का निदेश निर्गत किया जाता है। इस क्रम में बाढ़ नियंत्रण आदेश 2017 की कंडिका 1.03 द्रष्टव्य – "मुख्य अभियंता बाढ़ के दिनों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन सुरक्षात्मक कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे ताकि टूटान, चूहों के द्वारा किये गये छेदों एवं क्षतिग्रस्त भाग को 15 जून 2017 के पूर्व करा लिया जाय ताकि किसी प्रकार की क्षति तथा बाढ़ विभीषिका से बचा जा सके।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भारत मानक संस्थान के नदी तटबंध के निर्माण एवं सम्पोषण पर मार्गदर्शी सिद्धांत से संदर्भित कोड 11532/1995 की कंडिका 3.1.1.4 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "Rodents and other animals make holes, cavities and tunnels through and under embankments. These are sources of danger causing leakage and excessive seepages which may give rise to serious breaches during flood period. Such holes should be carefully located, examined, provided with an inverted filter, filled with earth and rammed. Alternatively such holes should be filled with well rammed stiff clay."

वर्ष 1963 में पश्चिमी कोशी तटबंध के डलबा स्थल पर हुए टूटान की जाँच तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विनोदानन्द झा के कार्यकाल में हुई थी और इस टूटान का मुख्य कारण तटबंध का चूहा एवं लोमड़ी से क्षतिग्रस्त करना पाया गया था। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा कि 11 अगस्त से 14 अगस्त की अवधि में नेपाल भाग एवं भारतीय भाग में अचानक हुई लगातार अत्यधिक वर्षापात के कारण विभिन्न नदियों में अत्यधिक जलश्राव प्रवाहित होने एवं कई नदियों में नया उच्चतम जलस्तर दर्ज होने के कारण तटबंध कुछ स्थलों पर क्षतिग्रस्त हुए। परन्तु बाढ़ पूर्व विभाग की तैयारी एवं बाढ़ अवधि में विभागीय अभियंताओं की मुस्तैदी एवं तत्परता तथा मुख्यालय स्तर पर दिवा–रात्रि सघन मोनेटरिंग के फलस्वरूप अधिकांश तटबंध उक्त विषय परिस्थिति में भी सुरक्षित रहा एवं जानमाल की कोई व्यापक क्षति नहीं हुई।

- **<u>बाढ़ से हुई क्षति के लिए केन्द्र सरकार को समर्पित ब्यौरा</u>**

बाढ़ 2017 की अवधि में अप्रत्याशित वर्षापात् एवं विभिन्न नदियों के कई बिन्दुओं पर नया उच्चतम बाढ़ स्तर प्राप्त होने के चलते तटबंध अनेकों बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षापात् के चलते त्रिवेणी नहर, दोन नहर एवं पूर्वी कोशी नहर व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। इस क्षति के लिए रु० 1117.96 करोड़ केन्द्रीय सहायता निमित्त जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रतिवेदन केन्द्रीय दल को दिया गया है :–

क्र०सं०	मद	राशि (करोड़ रूपये में)
1	क्षतिग्रस्त तटबंधों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन हेतु	330.73
2	क्षतिग्रस्त जमींदारी बांधों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन हेतु	48.70
3	क्षतिग्रस्त यांत्रिक संरचानाओं के पुनर्स्थापन हेतु	150.00
4	बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों पर किये गये व्यय हेतु	81.08
5	क्षतिग्रस्त नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन हेतु	507.45
	कुल	1117.96

बाढ़ प्रबंधन हेतु गैर संरचनात्मक उपाय :–

राज्य की विभिन्न नदियों में बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (एम0एम0आई0एस0सी0) कार्यरत है। इसमें विश्व बैंक तथा अन्य बाह्य संस्थाओं के सहयोग से उच्च कोटि के बाढ़ पूर्वानुमान तकनीक का विकास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बागमती अधवारा बेसिन के लिए पूर्व के मॉडल आधारित विकसित बाढ़ पूर्वानुमान प्रायोगिक तौर पर इस बाढ़ अवधि में FMISC के बेवसाइट पर प्रकाशित किया जाना आरम्भ किया गया। साथ ही बागमती अधवारा बेसिन के बाढ़ पूर्वानुमान में अपेक्षित तकनीकी सुधार का कार्य भी परामर्शी द्वारा कराया जा रहा है। इसी प्रकार कोसी–बेसीन के बाढ़ पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर परामर्शी द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसे वर्ष 2018 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

अभी तक एफ0एम0आई0एस0सी0 के अन्तर्गत :–

(i) कोसी एवं बागमती नदी बेसीन हेतु तटबंध परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली (Embankment Asset Management System) विकसित किया जा चुका है जिससे तटबंधों के बेहतर प्रबंधन में सहायता प्राप्त हो रहा है।

(ii) कोसी नदी के बाढ़ एवं गाद प्रबंधन कार्य का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जिससे इस नदी के बाढ़ एवं गाद की समस्या के समुचित प्रबंधन हेतु बेहतर कार्य प्रणाली का विकास किया जाना संभव है।

(iii) कोसी नदी के रिवर बिहेवेरियल एनालिसिस (River Behavioral Analysis) का कार्य पूरा कर लिया गया है जिससे मॉनसून के पूर्व तटबंधों के कटाव तथा नदियों के शिफ्टिंग का अध्ययन सैटेलाईट इमेजरी के सहायता से किया जा रहा है जो बाढ़ प्रबंधन की दिशा में अत्यंत कारगर सिद्ध हुआ है।

(iv) बागमती तथा कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र के बाढ़ से आक्रान्त लोगों की सहभागिता से तटबंधों के बेहतर रख–रखाव हेतु प्रोटोकॉल का विकास।

इसी क्रम में इस संस्था के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के अधीन मैथेमेटिकल मॉडलिंग सेन्टर की स्थापना जल संसाधन भवन, अनिसाबाद में स्थापित

किया गया है जिसका उद्घाटन दिसम्बर, 2017 मध्य में प्रस्तावित है। वीरपुर में एक फिजिकल मॉडलिंग सेन्टर की भी स्थापना की जा रही है। इनके निर्माण से राज्य में बाढ़ प्रबंधन कार्य में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता हासिल की जा सकेगी। बाढ़ अवधि में ये कदम राज्य की जनता एवं जान–माल की सुरक्षा हेतु अत्यंत कारगर सिद्ध होगा।

परिशिष्ट–2

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय,</u>

वित्तीय वर्ष 2017–18 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 9598.9564 करोड़ रूपये (नौ हजार पाँच सौ अन्ठानवे करोड़ पन्चानवे लाख चौसठ हजार रूपये) की राशि प्रावधान के लिए प्रस्तावित की गयी है।

2. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2017–18 में प्रस्तावित व्यय निम्नवत् है:–

(क) वार्षिक स्कीम मद में :– 4013.6809 करोड़ रूपये

(चार हजार तेरह करोड़ अड़सठ लाख नौ हजार रूपये)

(ख) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में (प्रभृत सहित) :– 5574.9344 करोड़ रूपये

(पाँच हजार पाँच सौ चौहत्तर करोड़ तिरानवे लाख चौवालिस हजार रूपये)

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में :– 10.3411 करोड़ रूपये

(दस करोड़ चौंतीस लाख ग्यारह हजार रूपये)

कुल योग :– 9598.9564 करोड़ रूपये

(नौ हजार पाँच सौ अन्ठानवे करोड़ पन्चानवे लाख चौसठ हजार रूपये)

(क) <u>वार्षिक स्कीम</u>

वार्षिक स्कीम मद में 4013.6809 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं:–

2600 करोड़ रूपये सर्व शिक्षा अभियान के राज्यांश मद में वेतन भुगतान हेतु,

300.00 करोड़ रूपये 100 स्मार्ट सिटी मिशन में परिसम्पत्ति निर्माण हेतु,

130.00 करोड़ रूपये बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में मुख्य निर्माण हेतु,

115.00 करोड़ रूपये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के भवन निर्माण हेतु,

96.23 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना हेतु,

94.95 करोड़ रूपये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना हेतु,

55.38 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु,

55.00 करोड़ रूपये चन्द्रगुप्त राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, पटना हेतु,

49.77 करोड़ रूपये सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल योजना हेतु,

48.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रूप में निवेश हेतु,

40.33 करोड़ रूपये आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भू–अर्जन हेतु,

40.24 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री छात्रवृति प्रोत्साहन योजना हेतु,

40.00 करोड़ रूपये प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया के भवन निर्माण हेतु,

29.00 करोड़ रूपये अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण हेतु,

26.71 करोड़ रूपये उद्यान विकास योजना हेतु,

22.42 करोड़ रूपये लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु,

21.89 करोड़ रूपये सबके लिए आवास (शहरी) मिशन योजना हेतु,

21.43 करोड़ रूपये राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु,

21.17 करोड़ रूपये राजकीय महाविद्यालय के मुख्य निर्माण कार्य हेतु,

18.88 करोड़ रूपये स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु,

15.00 करोड़ रूपये चाणक्य राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, पटना हेतु,

14.82 करोड़ रूपये परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु,

14.58 करोड़ रूपये फसल कृषि कर्म अन्तर्गत सघन क्षेत्र विकास एवं प्रशिक्षण सहयोग हेतु,

12.78 करोड़ रूपये राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन हेतु,

12.38 करोड़ रूपये शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय के भवन निर्माण हेतु,

11.70 करोड़ रूपये कृषि नवीनता में प्रोत्साहन हेतु,

10.64 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना हेतु,

10.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना हेतु,

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में स्कीम मद में कुल 4013.6809 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्यर्पण के विरूद्ध 1690.29 करोड़ रूपये का प्रावधान है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा वार्षिक स्कीम अन्तर्गत दिये गये कुल अतिरिक्त उद्व्यय 2865.09 करोड़ रूपये में 1382.70 करोड़ रूपये की कटौती की गयी है।

(ख) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि 5574.9344 करोड़ रूपये (प्रभृत राशि सहित) है। प्रावधानित की गयी राशि में मुख्य निम्नवत् हैं:–

1243.43 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु,

1091.65 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान हेतु,

914.72 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत क्षतिग्रस्त फसलों के लिए नगद अनुदान हेतु,

600.00 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों के मरम्मत हेतु,

367.66 करोड़ रूपये पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को सहायक अनुदान हेतु,

300 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती हेतु,

204.32 करोड़ रूपये आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में लेखा अन्तरण हेतु,

132.95 करोड़ रूपये विभिन्न विभागों के वेतन मद हेतु,

130.71 करोड़ रूपये जिला परिषद्/नगर माध्यमिक शिक्षकों को सहायक अनुदान वेतन हेतु,

114.74 करोड़ रूपये पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान हेतु,

100.00 करोड़ रूपये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु,

69.54 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत जनसंख्या के निष्क्रमण में नगद अनुदान हेतु,

52.00 करोड़ रूपये श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वाँ प्रकाश उत्सव के समापन समारोह हेतु,

50.00 करोड़ रूपये ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु,

29.63 करोड़ रूपये बिहार शोधन निधि में अंशदान हेतु,

22.16 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) अन्तर्गत सन्तप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान हेतु,

21.28 करोड़ रूपये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु,

20.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य खान विकास निगम लि० में प्रारंभिक पूंजी के निवेश हेतु,

10.00 करोड़ रूपये गैर सरकारी मदरसा हेतु,

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (प्रभृत सहित) अन्तर्गत 5574.9344 करोड़ रूपये प्रावधान के लिए प्रस्तावित राशि में 204.3150 करोड़ रूपये आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण–आपदा राहत निधि में लेखा अंतरण हेतु प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3.14 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रत्यर्पण के विरूद्ध किया गया है। इस प्रकार

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 5367.48 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी जिसमें निवल (Net) 4384.57 करोड़ रूपये की राशि प्राकृतिक विपत्ति (बाढ़) मद में विभिन्न विभागों के मांग में प्रस्तावित है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान 10.3411 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य निम्नवत् है–

6.63 करोड़ रूपये टूरिज्म सर्किट–स्वदेश दर्शन स्कीम हेतु प्रस्तावित है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त हो चुकी हैं।

3.50 करोड़ रूपये वैधानिक माप विद्या के सुदृढ़ीकरण हेतु।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को वर्ष 2017–18 के अन्त तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक की सीमा में रखना है। वार्षिक स्कीम में कटौती की गयी राशि के उपरांत द्वितीय अनुपूरक में प्रस्तावित राशि तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान में प्राप्त होने वाली राशि को संशोधित करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 35164.98 करोड़ रूपये का है, जो संशोधित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 4,66,365 करोड़ रूपये का 7.54 प्रतिशत होता है। यह निर्धारित 3.0 प्रतिशत की अधिसीमा से अधिक है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा वार्षिक स्कीम में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्यर्पण होने वाली राशि के आलोक में राजकोषीय घाटा निर्धारित अधिसीमा 3.0 प्रतिशत के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया जाएगा।

बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2017 द्वारा कुल **9598.9564** करोड़ रूपये (नौ हजार पाँच सौ अन्ठानवे करोड़ पन्चानवे लाख चौसठ हजार रूपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। विनियोजन राशि में **9568.9089** करोड़ रूपये (नौ हजार पाँच सौ अड़सठ करोड़ नब्बे लाख नवासी हजार रूपये) मतदेय एवं **30.0475** करोड़ रूपये (तीस करोड़ चार लाख पचहत्तर हजार रूपये) भारित है। कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व व्यय में **9240.1792** करोड़ रूपये (नौ हजार दो सौ चालीस करोड़ सत्रह लाख बेरानवे हजार रूपये) एवं पूंजीगत व्यय में **358.7772** करोड़ रूपये (तीन सौ अन्ठावन करोड़ सतहत्तर लाख बहत्तर हजार रूपये) की निकासी प्रस्तावित है।

द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2017 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2017 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाए ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

************** –:जय हिन्दः– **************